रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1998 (चैत्र 7, 1920)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1998 (CHAITRA 7, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियों, नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	213
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	279
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असंविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	435
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल न्यायाधिकरण और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	275
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	427
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	897
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	59
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

PAGE

PART I— SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 213

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 279

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 435

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Order issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 275

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 427

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 897

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . 59

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1998

सं. 23-प्रेज/98—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आर. एस. दहिया,
सहायक उप निरीक्षक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

श्री टी. बी. कुकी,
कांस्टेबल,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

श्री करामत खान,
कांस्टेबल,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

25-11-97 को लगभग 10.45 बजे एक ड्रिल साइट तैयार करने के लिए ओ. एन. जी. सी., त्रिपुरा के सिविल इंजीनियरों के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक सशस्त्र अनुरक्षक दल गया जिसमें सर्व/श्री आर. एस. दहिया, सहायक उप निरीक्षक, टी. बी. कुकी तथा करामत खान, कांस्टेबल शामिल थे । रास्ते में, इस कानवाइ पर लगभग 20 उग्रवादियों ने घात लगा कर अचानक गोलाबारी कर दी । उग्रवादियों की गोलाबारी के कारण सर्व/श्री टी. बी. कुकी तथा करामत खान, जोकि कानवाइ की प्रथम जीप में चल रहे थे, घायल हो गए तथा वाहन के सिविलियन ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी । श्री आर. एस. दहिया, सहायक उप निरीक्षक के वाहन पर भी गोलाबारी हुई तथा वाहन का ड्राइवर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो कार्मिक घटना स्थल पर ही मारे गए तथा एक सिपाही, जो कि गम्भीर रूप से घायल हो गया था, ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही घावों के कारण दम तोड़ दिया । श्री आर. एस. दहिया, सहायक उप निरीक्षक अपनी जान को उत्पन्न खतरे की परवाह न करते हुए अनुकूल स्थान पर पहुंच गए तथा गोलीबारी करके शेष केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को कवर प्रदान किया ताकि वे आगे बढ़ सकें । उसी समय, सर्व/श्री के. बी. कुकी तथा करामत खान अपने जख्मों के बावजूद आगे बढ़े तथा उग्रवादियों पर गोलाबारी शुरू कर दी । सीमित मात्रा में गोलाबारूद के साथ, इन्होंने उग्रवादियों को रोके रखा । परस्पर गोलाबारी के कारण सर्व/श्री के. बी. कुकी तथा करामत खान गोलियों के कारण गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । लेकिन दृढ़ता के साथ इन्होंने उग्रवादियों को 30 मिनट तक रोके रखा तथा और व्यक्तियों को हताहत होने से तथा बल के शस्त्रों और गोलाबारूद को बरबाद होने से बचा लिया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आर. एस. दहिया, सहायक उप-निरीक्षक, टी. बी. कुकी तथा करामत खान, कांस्टेबलों ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25-11-97 से दिया जाएगा ।

एम. के. शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 24-प्रेज/98—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रायसुद्दीन,
नायक, 107 आर. ए. एफ. बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

29-4-1997 को लगभग 2145 बजे नगर निगम का पानी का एक ट्रक, अशोक गार्डन कालोनी, भोपाल के निवासियों के लिए पानी लाया । जब उस क्षेत्र के निवासी पानी भरने में व्यस्त थे तो उसी क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्व, जिनकी शिनाख्त मो. शब्बीर, मो. सागीर, मो. जमील और पप्पू के

रूप से की गयी, घटनास्थल पर आए और असहाय महिलाओं के साथ गाली-गलौच करने लगे और उन्हें पीटना शुरु कर दिया। उन्होंने 107 आर. ए. एफ. बटालियन के नायक (जी. डी.) रायसुद्दीन, जो उस समय अपने घर पर थे, को मदद के लिए बुलाया। नायक (जी. डी.) रायसुद्दीन तुरन्त घटनास्थल पर गए और उन असामाजिक तत्वों को ललकारा जो अक्सर स्थानीय निवासियों के साथ गुण्डागर्दी करते थे और हिंसा में संलिप्त रहते थे। असामाजिक तत्व जो चाकुओं, हाकियों और लाठियों से लैस थे, ने इस हस्तक्षेप को पसन्द नहीं किया और नायक (जी. डी.) रायसुद्दीन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन की परवाह किए बिना उनका मुकाबला किया। इसके जवाब में सशस्त्र बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और उनके पेट में चाकू घोंप कर उन्हें गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया। लेकिन उन्होंने अदम्य साहस के साथ उनका मुकाबला किया जिसके परिणामस्वरूप बदमाश भाग गए और असहाय सिविलियनों की जान बच गयी। इन असामाजिक तत्वों के हमले के दौरान कुछ सिविलियन भी जख्मी हुए। श्री रायसुद्दीन को गम्भीर अवस्था में हमीदिया अस्पताल, भोपाल पहुंचाया गया जहां उनका जीवन बचाने के लिए उनका आपरेशन किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री रायसुद्दीन, नायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29-4-97 से दिया जाएगा।

एस. के. शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 25-प्रेज/98—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रमेश सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल, 85 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

20-10-96 को पोहरु चाक ग्राम (जम्मू और कश्मीर) में कुछ खूंखार उग्रवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली, जो लोगों की हत्या एवं अपहरण करने की योजना बना रहे थे। एक संयुक्त आपरेशन दल, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ-साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक प्लाटून थी, परन्तु उस गांव की तरफ गया और उस संदिग्ध घर की घेराबंदी कर दी। जब यह दल घर में घुसा तो घर के अंदर छिपे हुए उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर पुलिस के दो कार्मिकों को अपनी जान गवानी पड़ी। श्री रमेश सिंह ने उग्रवादियों को ललकारा और उन पर गोलीबारी की। हथियारों से पूरी तरह लैस उग्रवादियों के साथ घमासान लड़ाई लड़ते हुए श्री सिंह ने घर के अन्दर के लोगों तथा घायल स्थानीय पुलिस कार्मिकों को बचाया। श्री रमेश सिंह के बहादुरी भरे कारनामे को देखकर, उग्रवादियों ने संयुक्त रूप से हमला बोल दिया और श्री सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी, जिनसे शरीर पर गोलियां लगने से अनेक जख्म हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच कुमुक पहुंच गयी और लम्बे मुठभेड़ के बाद शेष तीन उग्रवादियों को मार गिराया। श्री सिंह के शरीर पर गोलियां लगने से अनेक जख्म हो गए थे और वे जमीन पर गिर पड़े। मुठभेड़ स्थल से 2 ए. के. 47 राइफलें तथा एक वायरलैस सैट बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री रमेश सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20-10-96 से दिया जाएगा।

एस. के. शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 26-प्रेज/98—राष्ट्रपति, मणीपुर सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जान एस. शिलशी,
अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण,
इम्फाल ।

श्री थ. कृष्णातोम्बी सिंह,
सहायक उप-निरीक्षक,
इम्फाल जिला पुलिस ।

श्री एन. रामेश्वर सिंह,
कांस्टेबल/ड्राईवर,
इम्फाल जिला पुलिस ।

श्री एस. आमु सिंह,
कांस्टेबल,
इम्फाल जिला पुलिस ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

10-1-1997 को सूचना प्राप्त हुई कि पी. एल. ए. के कुछ उग्रवादी, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, चाउबल जिला के क्षेत्रों में मौजूद हैं । श्री जान एस. शिलशी, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, इम्फाल, ने सिविल पुलिस कमाण्डो और माहर रैजिमेंट के जवानों को मिला कर एक संयुक्त अभियान आयोजित किया । श्री जान के नेतृत्वाधीन वाला दल घरों को चैक करने के उद्देश्य से तीन भूपों में विभाजित हो गया । करीब 1420 बजे सहायक उप-निरीक्षक टी.के. सिंह के नेतृत्वाधीन दल ने एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया जिसने पूछताछ करने पर अपने साथियों के ठिकाने के बारे में जानकारी प्रकट कर दी । छिपने के ठिकाने को खोजने के लिए श्री टी. के. सिंह ने उसकी मदद ली । जैसे ही यह दल एक पहाड़ी के निकट पहुंचा तो उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां बरसा दीं जिससे कान्स्टेबल/ड्राईवर एन. रामेश्वर और दो अन्य घायल हो गए । घावों के बावजूद, श्री एन. आर. सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वायरलैस पर मुठभेड़ के स्थान के बारे में बता दिया । वे अपने वाहन से बाहर कूदे और उग्रवादियों की ओर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं । परन्तु इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया उग्रवादी, उग्रवादियों की गोलियों से बुरी तरह घायल हो गया । उग्रवादी, जो एक सुरक्षित स्थिति में थे, ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं । सहायक उप निरीक्षक टी. के. सिंह और उनका दल, एक नाले से होकर पहाड़ी की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़े ताकि उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने को साफ-साफ देखा जा सके और उस पर गोलियां चलाई जा सकें । इस बीच श्री जान और उनका दल भी इस स्थान पर पहुंच गया और पहले वाले दल के करीब आ गया । इसे देख कर कुछ उग्रवादी उत्तर दिशा में भागे जबकि दो अन्य उग्रवादी पुलिस कार्मिकों पर गोलिया चलाते रहे । सहायक उप-निरीक्षक टी. के. सिंह, और कान्स्टेबल/ड्राईवर एन. आर. सिंह ने पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया । पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उन्होंने श्री जान को कुछ उग्रवादियों के नाले में छिपे होने के बारे में सूचना दी । श्री जान और उनके साथियों ने तुरन्त नाले को और करीब से घेर लेने का निर्णय लिया । वे जैसे ही आगे बढ़े, उग्रवादियों की ओर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई जिसके फलस्वरूप एक राईफलमैन गोलियां लगने से जख्मी हो गया । श्री जान तुरन्त धरती पर लेट गए और उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे तथा साथ ही साथ इन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि घायल राईफलमैन को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं । कान्स्टेबल आमू सिंह, घायल राईफलमैन की ओर बढ़े और उसे सुरक्षित स्थान तक खींच कर ले गए । तदोपरान्त, श्री जान और कान्स्टेबल आमू सिंह, अलग-अलग दिशाओं से नाले में घुसे और अपने अन्य साथियों को ऐसे स्थान पर तैनात कर दिया जहां से वे उनकी मदद कर सकते थे । अब यह फैसला लिया गया कि उग्रवादियों पर गोलीबारी केवल एक ही स्थान से की जाए ताकि उग्रवादियों को यह आभास हो कि उनका पीछा करने वाले अधिक व्यक्ति नहीं हैं । इस योजना का फायदा हुआ तथा एक उग्रवादी निकल कर बाहर आया और अपने शस्त्र ऊपर उठा कर उसने आत्मसमर्पण करने का बहाना किया । तथापि, उसने तुरन्त अपनी पोजीशन बदल ली और गोली चलाना शुरू कर दिया । इस पर श्री जान और कान्स्टेबल आमू सिंह ने तत्काल उग्रवादी पर गोलीबारी की और वह गोलियां लगने से घायल हो गया तथा वहीं पर मारा गया । इस बीच, सहायक उप-निरीक्षक टी. के. सिंह, कान्स्टेबल एन. रामेश्वर सिंह, और उनके अन्य साथियों ने पहाड़ी के ऊपर से उस क्षेत्र में धावा बोल दिया । झाड़ी वाले इलाके में संदिग्ध ठिकानों पर गोलियां चलाईं । तत्पश्चात, उस क्षेत्र की पूरी तरह तलाशी ली गई और एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान गांरगथेम गोगो, जो कि पी. एल. ए. का एक कट्टर सदस्य था, के रूप में की गई । उसके पास से एक ए. के.-64 राईफल और 14 राउण्ड से भरी एक मैगजीन बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जे. एस. शिलशी, अपर पुलिस अधीक्षक, टी. के. सिंह, सहायक उप-निरीक्षक, एन. आर. सिंह, तथा एस. ए. सिंह, कान्स्टेबलों ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-1-1997 से दिया जाएगा ।

एस. के. शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 27-प्रेज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री अश्वनी कुमार,
कांस्टेबल (अब लांस नायक)
50वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

2-2-96 को लगभग 0830 बजे सीमा सुरक्षा बल की 50वीं बटालियन की टुकड़ियां हिल्लर चौकी के बाहर इंफिगम गांव के क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे । गश्त लगाने वाले दल को देखकर स्वचालित हथियारों से लैस 4/5 उग्रवादी उस गांव की गलियों में विभिन्न दिशाओं में भागने लगे तथा साथ ही साथ गश्त

लगाने वाले दल की तरफ गोलीबारी भी करते रहे । गश्त लगाने वाले दल ने भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया । उग्रवादी दो गिरोहों में बंट गए, तीन उग्रवादियों का एक गिरोह भागने में सफल हो गया तथा दूसरे गिरोह का एक उग्रवादी गांव के बाहर एक घर में घुस गया और गोलीबारी करने लगा । गश्त लगाने वाले दल के सदस्यों में से एक कांस्टेबल अश्वनी कुमार ने उस घर से लगभग 10 गज की दूरी पर स्थित एक अखरोट के पेड़ के नीचे मोर्चा संभाल लिया और उग्रवादी की ओर गोलाबारी शुरू कर दी । परस्पर गोलीबारी में, कांस्टेबल अश्वनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए । बुरी तरह घायल होने के बावजूद, वे उग्रवादी की तरफ गोलीबारी करते रहे । उग्रवादी ने एक हथ गोला निकाला और उसे नजदीकी घेरे पर फेंकने ही वाला था कि श्री कुमार अपनी जान की परवाह किए बिना खुले में आ गए और गोलीबारी करके उस उग्रवादी को मुठभेड़-स्थल पर ही मार गिराया । उसके बाद घर की तलाशी ली गई, जहां से मारे गए उग्रवादी का शव एवं हथियार/गोलाबारूद बरामद किया गया । उपरिलिखित मुठभेड़ की सूचना पाकर, कुमुक, जिसमें कमांडेंट, एडजुटेंट, सी. डी. पी. पी. एल. एण्ड जी. स्टाफ शामिल थे, घटनास्थल की तरफ चल पड़ा तथा वह भी उस मुठभेड़ में शामिल हो गई जिसमें गश्त लगाने वाला दल पहले से ही लगा हुआ था । गोलीबारी बंद होने पर उस क्षेत्र की तलाशी ली गई तो उग्रवादी का एक और शव तथा निम्नलिखित हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किए गए :—

(1) ए. के. 47 राइफल—2 नग

(2) ए. के. राइफल की मैगजीन—5 नग

(3) ए. के. 47 का सक्रिय गोला बारूद—20 नग

(4) हथगोला (चीन निर्मित)—1 नग

इस मुठभेड़ में श्री अश्वनी कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2-2-1996 से दिया जाएगा ।

एस. के. शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1998

सं. 11013/7/97 आई. ई. एस.—निम्नलिखित सेवाओं में ग्रेड-4 की रिक्तियों को भरने के लिए 1998 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय अर्थ सेवा, और

(2) भारतीय सांख्यिकीय सेवा

2. परीक्षा परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रूप में किया जाएगा ।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4. उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जांबिया, मलावी, जेरे तथा इथोपिया या वियतनाम से प्रवजन कर आया हो ।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है ।

5. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी, 1998 को 21 वर्ष की होनी चाहिए किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1970 से पहले और 1 जनवरी, 1997 के बाद का न हो ।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(2) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक ।

(3) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 10 वर्ष तक ।

(4) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(5) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(6) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1998 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1998 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(7) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशनप्राप्त अधिकारियों) तथा आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1998 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर, बर्खास्त न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1998 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं तथा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(8) आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 जनवरी, 1998 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक ।

(9) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्प कालीन सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 जनवरी, 1998 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि परी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष तक ।

(10) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं, अधिकतम तीन वर्ष तक ।

टिप्पणी 1 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक, (सिविल सेवा तथा पदों में पुनर्रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है ।

टिप्पणी 2 : नियम 5 (ख) (2) से 5(ख) (8)) के अन्तर्गत आने वाले वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध नहीं हैं यदि उन्होंने आयु छूट प्राप्त करने के बाद सिविल क्षेत्र में कोई सरकारी नौकरी पहले से ही ले ली है, तो वे आयु सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं हैं ।

यद्यपि उन भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने केन्द्र सरकार के किसी सिविल पद में नियमित रूप से पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, को सरकार के किसी अन्य उच्चतर पद अथवा सेवा में रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली आयु में छूट का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त है ।

टिप्पणी 3 : अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 5(ख) के किन्हीं अन्य श्रेणों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिकों आदि की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी ।

6. परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय अर्थ सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल की अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद को अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं की अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित डिग्री होनी चाहिए और भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवारों के पास सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र सहित डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए ।

टिप्पणी 1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है । ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा । उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा ।

टिप्पणी 2 : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

टिप्पणी 3 : जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवेक पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी ।

8. सभी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो सरकारी उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंधित अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

9. किसी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने और परीक्षा में प्रवेश के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा । यदि लिखित परीक्षा, तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

11. जिस उम्मीदवार ने—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया हो, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रवेश या ऐसे प्रवेश में किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे दस्तखत किए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया हो, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवारी के संबंध में किन्हीं अन्य अनियमित, अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर-पुस्तिकाओं में असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों को भेजे गए परीक्षा की अनुमति विषयक प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा

(12) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या करने के लिए अवप्रेरित करने का प्रयास किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे--

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप अथवा एक विहित अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से

अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है,

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो; और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों, इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है ।

13. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग योग्य समझेगा उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है ।

(2) किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक स्तर में छूट देकर आयोग द्वारा उनकी अनुशंसा की जा सकती है बशर्ते कि ये उम्मीदवार सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हों ।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के जिस उम्मीदवार को इस उप नियम में उल्लिखित छूट दिए बिना आयोग द्वारा अनुशंसा की गई हो, उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा ।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा तथा आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

15. कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर किसी एक सेवा या दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगी हो सकता है । जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेता है उसे विस्तृत आवेदन पत्र में उन सेवाओं के वरीयता क्रम का स्पष्ट रूप में उल्लेख करना होगा जिनके लिए वह विचार किए जाने का इच्छुक है, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा दर्शायी गयी वरीयता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सके ।

विशेष ध्यान (1) : उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र में दर्शायी गई वरीयताओं में परिवर्धन/परिवर्तन करने सम्बन्धी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

विशेष ध्यान (2) : दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को वास्तव में योग्यता सूची में उनके क्रम, उनके द्वारा वर्णायी गई वरीयताओं तथा रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही सेवाओं के लिए आबंटित किया जाएगा ।

16. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इन सेवाओं में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

17 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तो नियुक्ति नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा कराई जा सकती है ।

टिप्पणी :—कहीं निराश न होना पड़े, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें । नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, उसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट-3 में दिए गए हैं । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकता के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी ।

18. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबन्ध किया हो, जिसका पहले जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है तो वह उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

18. इस परीक्षा के माध्यम से जिस सेवा के सम्बन्ध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।

सी. के. जी. नायर
उप आर्थिक सलाहकार

परिशिष्ट—1

परीक्षा की योजना

खण्ड—1

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी ।

भाग—1 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, पूर्णांक 900 होंगे ।

भाग 2—आयोग द्वारा जिस उम्मीदवार को बुलाया जाता है उनके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 250 होंगे ।

भाग—1 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है :—

क्र० सं०	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
क.	भारतीय अर्थ सेवा		
1.	सामान्य अंग्रेजी	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	150	3 घंटे
3.	सामान्य अर्थशास्त्र—I	200	3 घंटे
4.	सामान्य अर्थशास्त्र—II	200	3 घंटे
5.	भारतीय अर्थशास्त्र	200	3 घंटे
ख.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा		
1.	सामान्य अंग्रेजी	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	150	3 घंटे
3.	सांख्यिकी—I	200	3 घंटे
4.	सांख्यिकी—II	200	3 घंटे
5.	सांख्यिकी—III	200	3 घंटे

नोट :— परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यक्रम का विवरण नीचे खण्ड—2 में दिए गए हैं ।

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र परम्परागत (निबन्ध) प्रकार के होंगे ।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर, अंग्रेजी में लिखने चाहिए । प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. कम से कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा ।

9. प्रश्न-पत्रों में जहां आवश्यक हो तौलों और मापों की केवल मीट्रिक प्रणाली से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

10. उम्मीदवारों को बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है ।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि का ही प्रयोग करना चाहिए ।

भाग—2

मौखिक परीक्षा—उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवनवृत होगा । साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा या सेवाओं के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचना होगा । साक्षात्कार उम्मीदवार की सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान के परीक्षण तथा क्षमता को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा । उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिनका प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है ।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं अपितु, स्वाभाविक निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है । बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहणशक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता सामाजिक संगठन की योग्यता चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा ।

खण्ड—2

परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे अन्य विषयों के प्रश्न-पत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्व-विद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे । उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत को तथ्य के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें । सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं से विशेष रूप परिचित हों ।

सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा । अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे उसके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके । संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्यतः गद्यांश दिए जाएंगे ।

सामान्य अध्ययन

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न-पत्र में देश की राजनीतिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए ।

सामान्य अर्थशास्त्र-I

उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत : तटस्थ वक्र, विश्लेषण प्रकट अधिमानता अभिगम ।

उत्पादन का सिद्धांत : उत्पादन के तत्व, उत्पादन कृत्य प्रतिफल के नियम, प्रतिष्ठान और उद्योग का संतुलन ।

मूल्य का सिद्धांत : विपणन व्यवस्था के विभिन्न रूपों में मूल्य निर्धारण सार्वजनिक उपयोगिता मूल्यन ।

वितरण का सिद्धांत : उत्पादन के तत्वों का मूल्यन, भाड़ा, मजदूरी ब्याज और लाभ के सिद्धांत, सीमांत वितरण सिद्धांत, संकलन समस्या, आय वितरण में असमानताएं ।

कल्याण मूलक अर्थशास्त्र : प्राचीन और नवीन कल्याण मूलक अर्थशास्त्र, क्षतिपूर्ति नियम, क्षतिमूलक ग्रंथियां ।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा : सामाजिक लेखा

नियोजन का सिद्धांत निषेध और मुद्रास्फीति, शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अभिगम नियोजन के बारे में तकीन्स सिद्धांत और कीन्स के बाद की गतिविधियां ।

सामान्य अर्थशास्त्र—2

आर्थिक विकास की अवधारणा और उसका मापन । विकास के सिद्धांत ।

विकासशील देशों के लक्षण और उनकी समस्याएं । जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास ।

आयोजन : अवधारण और पद्धतियां, आर्थिक संगठन की पूंजीवादी और समाजवादी प्रणालियों के अंतर्गत आयोजन मिश्रित अर्थ व्यवस्था में आयोजन, प्रतिरहस्यात्मक आयोजन, क्षेत्रीय आयोजन, निवेश के निर्धारण और प्रविधियों के चयन :

अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार के लाभ, व्यापार की शर्तें, व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास, व्यापार शुल्क पद्धति के सिद्धांत ।

भुगतान संतुलन : भुगतान संतुलन में असमानताएं, समंजन की प्रक्रिया, विदेश व्यापार, विनिमय की दरें, आयात और विनिमय नियंत्रण ।

आई. एम. एफ. और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण सुधार : जी. ए. टी. टी., आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता आई. बी. आर. डी. और उसके अनुबन्ध ।

मुद्रा : उसका मूल्य और प्रयोजन, मुद्रा नीति, केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों के कार्य ।

राजकोषीय नीति और उसके लक्ष्य : कराधान और व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य और प्रभाव, कराधान का प्रभाव और घटन, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण का सिद्धांत ।

अर्थशास्त्र सांख्यिकी का प्रयोग, सांख्यिकीय औसत और विक्षेपण के माप, मूल्यों के परिणामों के सूचकांक, उनकी सीमाएं ।

भारतीय अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी लक्षण, विकास तंत्र : कृषि और उद्योग की भूमिका, विदेश व्यापार की भूमिका, संतुलित विकास की अवधारणा ।

आयोजन : उद्देश्य, प्राथमिकताएं और समस्याएं, पंचवर्षीय योजनाएं, संसाधन जुटाव की समस्याएं ।

कृषि : नया कृषि तंत्र, भूसंबंध और भू सुधार, देहाती साख सिंचाई और उर्वरकों का स्थान, कृषि विपणन, कृषि उत्पादों के मूल्यों, फसल आयोजन, समुदायिक विकास, उपजीविका और ग्रामोद्योग ।

सहकारिता : ग्रामीण विकास में इनका स्थान, भारत में सहकारी आन्दोलन का विकास ।

उद्योग : औद्योगिक विकास की प्रक्रिया, स्थल निर्देश की समस्या, वृहदाकार और लघु उद्योग की समस्याएं, औद्योगिक नीति औद्योगिक संपदाएं, औद्योगिक वित्त के संसाधन, विदेशी पूंजी की भूमिका, सार्वजनिक उद्यम, संगठन, प्रबन्ध नियंत्रण और समर्थनीयता, मूल्य नीति ।

श्रम : रोजगार, बेरोजगारी और कम रोजगारी औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण, श्रम नीति, मजदूरी, मूल्य और आय नीति ।

विदेश व्यापार : भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, विदेशी व्यापार नीति, राज्य व्यापार, भुगतान सन्तुलन ।

मुद्रा और बैंकिंग : भारतीय मुद्रण विपणन का संगठन, वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली, मुद्रा नीति ।

सार्वजनिक वित्त : वित्तीय नीति, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि, कराधान नीति, संघ और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोत, सार्वजनिक ऋण नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध ।

सांख्यिकी—1

प्रायिकता (40 प्रतिशत प्रधानता) माप सिद्धांत के तत्वप्रसिद्ध परिभाषाएं और स्वयं सिद्ध अभिगम—प्रतिदर्श अवकाश संकुल और संकलित प्रायिकता के नियम—घटनाओं की प्रायिकता—प्रतिबंधित प्रायिकता के नियम—घटनाओं की प्रायिकता—प्रतिबंधित प्रायिकता—बेयर्स का प्रमेय—असंयोगिता विचरण—विरल और अविरल—वितरण कार्य—मानक प्रायिकता वितरण—बरनौली, समरूप, द्वितीय, पाइसन ज्यामितीय, आयत, घातीय सामान्य, काची, पराज्याह मित्तीय, बहुपदीय लाप्लेस, ऋणाद्विपदी, बीटा, गामा, लघुसामान्य तथा संकलित पाइसन वितरण—अभिसरण, वितरण में प्रायिकता में और प्रायिकता के एक के साथ और मध्य वर्ग में—आगनन और संचायकगणितीय अपेक्षा और प्रतिबंध अपेक्षा-लक्षणात्मक फलन और आपूर्ण तथा प्रायिकता, जनक कलन-किलोम विलक्षणता और सात सिद्धांत—टेकेवाइश्के और कोलमेगोराव असमानताएं—बहुसंख्या नियम और स्वयं विचरणों के लिए केन्द्रीय सीमा सिद्धांत ।

सांख्यिकी पद्धतियां (45 प्रतिशत प्रधानता)

तथ्यों का संग्रह संकलन और प्रस्तुतीकरण—चार्ट, डायाग्राम और हिस्टोग्राम—आवृत्ति वितरण—निर्देशन, विक्षेपण और विषमता का माप, द्विचर और बहुचर तथ्य—साहचय और आसंग—वक्र समजन और लांबिक बहुपद—द्विचर वितरण—द्विचर सामान्य वितरण समाश्रयण रेखीय बहुपदीय—बहुसंबंध गणांक का

विवरण—आंशिक और बहुल सहसंबंध अंतर्गीय सहसंबंध—सहसंबंध अनुपात ।

मानक त्रुटियां और वृहत प्रतिदर्श—परीक्षण प्रतिदर्श विवरण

वर्ग और एफ—इन पर आधारित प्रमुखता परीक्षण—गैर-पराप्रमित्तीय परीक्षण—साइन, मीडियम, रन, विलकाक्सन मनविटनी वाल्ड, वल्फोविट्ज आदि—वरीयताक्रम सांख्यिकी—अल्पतम, अधिकतम, रेंज और मीडियम ।

आंकड़ों का विश्लेषण (15 प्रतिशत प्रधानता)

लांग रेंज, न्यूटन-ग्रेगरी न्यूटन (विभाजित अंतर), गारा और स्लीटिंग पर प्रचलित अक्षार्द्धनिशम सत्र (शेष संभावना सहित)—थनार मस्लारिन का—संकलन सत्र—विलेम अन्तर्वेसन—आंकड़ों का समाकलन और अवकलन—प्रथम गुणांक का विभेद समीकरण—स्थिर गुणकों के साथ एक पातीय विभेद समीकरण ।

सांख्यिकी—

एकाघातीय प्रतिमान (25 प्रतिशत प्रधानता)

एक घातीय आकलन का सिद्धांत—गास मार्कफ प्रतिष्ठान—कनिष्ठ वर्ग आकलन—बी—विलोम का प्रयोग—एक तरफ और दो तरफा वर्गीकृत तथ्य का विश्लेषण—निश्चित, मिश्रित और यादृच्छिक प्रभाव वाले प्रतिमान—समाश्रयण गुणकों के लिए परीक्षण ।

आकलन (25 प्रतिशत प्रधानता)

अच्छे आकलन के लक्षण—अत्याधिक संभावना, कनिष्ठ ची वर्ग आघूर्ण और कनिष्ठ वर्ग की आकलन पद्धतियां—अत्यधिक संभावना आकलन—क्रेमर राव असमानता—भट्टाचार्य परिसीमाएं—पर्याप्त आकलन गुणन खण्ड प्रमेय—सम्पूर्ण आंकड़े—ब्लैकावेल प्रमेय-विश्वास अंतकाल आकलन—इष्टतम विश्वास परिसीमाएं ।

परिकल्पना परीक्षण (25 प्रतिशत प्रधानता)

सरल और जटिल परिकल्पना—दो प्रकार की त्रुटियां—क्रांतिक क्षेत्र—विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र—घात फलन अत्यन्त प्रभावशाली और समान रूप से अत्यन्त प्रभावशाली परीक्षण नेमन, परिसन आधार-भूत—अनभिनत परीक्षण—स्थालीप लाक परीक्षण—संभावना अनुपात परीक्षण—आका— OC —और ASN फलन—निर्णय के प्राथमिक तत्व और खेल सिद्धांत ।

बहुचर विश्लेषण (25 प्रतिशत प्रधानता)

बहुचर सामान्य वितरण—मध्य प्रसारक का आकलन और सहकारिता व्यूह—हाटेलिंग का स्थतिक—महलानाबिस का

स्थतिक—बहुचर सामान्य जनसंख्या के प्रतिदर्श में आंशिक और बहुल सहबंध गुणांक—विशेष का वितरण उसका अति-रूपात्मक और अन्य स्वभाव—विश्लेषक का निष्कर्ष-विवेचनात्मक फलन—प्रमुख घटक—नियमानुसार विचर और सहसंबंध ।

सांख्यिकी-3

भाग 'क' (सब के लिए अनिवार्य)

प्रतिदर्श विधियां (35 प्रतिशत प्रधानता)

जनगणना बनाम प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रारम्भिक और विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण-प्रतिस्थापन के साथ या उसके बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन और प्रतिदर्श आवंटन—लागत और विचरण फलन—आकलन की आनुपातिक और समाश्रयी पद्धतियां—आकार के समानुपात में प्रायिकता सहित प्रतिचयन—संकुल दुहरा बहु-रूपी बहुस्तरीय और व्यवस्थित प्रतिचयन—अन्त प्रवासी उप प्रतिचयन—प्रतिचयनेतर त्रुटियां ।

अर्थ सांख्यिकी (25 प्रतिशत प्रधानता)

समय श्रेणी के घटक—उनके निर्धारण की विधियां—विचरण विभेद पद्धति—यूल स्लस्की प्रभाव—सहसंबंध चित्र—प्रथम और द्वितीय क्रम के स्वयं समाश्रयी प्रतिदर्श—समावधि चित्र का विश्लेषण—मूल्यों और परिणामों के सूचकांक और उनके सापेक्ष गुण—थोक और खुदरा मूल्यों के सूचकांक की रचना—आदय वितरण—पैरिटो और इंगेल वक्र—एकाग्रता वक्र—राष्ट्रीय आय का आकलन करने की पद्धतियां—संघातर प्रवाह—अन्तर्उद्योगिक तालिका ।

भाग—(ख)

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय पर प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प है :

(1) सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण और परिचालन अनुसंधान (40 प्रतिशत प्रधानता)

विकारों और गुणों के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रक चित्र—गुणों के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन—एकल द्वंद्व, बहुल और श्रृंखलामूलक प्रतिचयन योजनाएं—

OC और ASH —फलन— AOQ और ATI की धारण—विचर के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन—डाइज रोमिक और अन्य तालिकाओं का प्रयोग ।

परिचालन अनुसंधान का अभिगम—रेखांगत कार्यपत्तन के प्राथमिक तत्व—सिम्प्लेक्स प्रतिक्रिया—परिवहन और नियोजन समस्याएं—द्वदात्मकत का नियम—एकल और बहुल आवधिक सूची नियंत्रण के नमूने । विश्लेषण रेखा प्रतिदर्श के लक्षण— M/M/I M/M/C नमूने आम नकली की समस्याएं—नष्ट या क्षीण होने वाले तथ्यों के प्रतिस्थापना के नमूने ।

(2) जनकिकी और जन्ममरण आंकड़े (40 प्रतिशत प्रधानता)

जीवन तालिका, उसका निर्माण और लक्षण—मेकहम और गामपटस वक्र—राष्ट्रीय जीवन तालिकाएं—राष्ट्र संघ की जीवन तालिकाओं के नमूने—संक्षिप्त जीवन तालिकाएं—स्थिर और स्थायी जनसंख्या—विभिन्न जन्म गतियां—कुल प्रजनन गतियां—कुल और निवल उत्पादन गतियां—विभिन्न मरण गतियां—मानकीकृत मरणगति—आंतरिक और अन्तर्-

ष्ट्रीय प्रवजन—निवल प्रवृजन अन्तर्राष्ट्रीय और जनगणनोत्तर आकलन—वृद्धि, घाती वक्र सांजन सहित प्रक्षेपण विधियां—भारत में दशाब्दीय जनगणना ।

(3) प्रयोग रूप कल्पना और विश्लेषण (40 प्रतिशत)

प्रयोग रूप कल्पना के नियम—पूर्ण रूप में यादृच्छिक बनाए गए यादृच्छिक खंड और लैटिन स्क्वैयर अभिकल्पों का विन्यास और विश्लेषण—क्रमगुणित प्रयोग और 22 और 33 प्रयोगों में संभ्रम—खण्ड और उपखण्ड अभिकल्प—संतुलित और अदर्ध संतुलित अपूर्ण वर्ग अभिकल्पों की रचना और विश्लेषण—सहकारिता का विश्लेषण—लांविकेतर तथ्यों का विश्लेषण लुप्त और मिश्रित व्यूह तथ्यों का विश्लेषण ।

(4) अर्थनीति (40 प्रतिशत प्रधानता)

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण—मांग फलन का विशिष्टीकरण और आकलन—मांग की लोच—संरचना और नमूना—एकल समीकरण शैली में प्राचलों का आकलन—परम्परागत अल्पतम वर्ग, साधारणीकृत अल्पतम वर्ग-विप्रदेयता क्रमागत सह-संबंध—बहुल सम रेखीयता—विचार प्रतिदर्श में त्रुटियां—समकालिक समीकरण प्रतिदर्श उदासमकता, वरीयता क्रम और क्रमण परिस्थितियां—परोक्षा अल्पतम वर्ग और दो स्तरीय अल्पतम वर्ग—अल्पकालिक आर्थिक भविष्य कथन ।

परिशिष्ट—2

इस परीक्षा के द्वारा जिन दो सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उसका संक्षिप्त ब्यौरा :

1. जो उम्मीदवार सफल होंगे, उनकी नियुक्ति दोनों सेवाओं में से किसी एक सेवा ग्रेड-4 में परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी ।

2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसकी कार्यकुशलता की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

3. परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है ।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जायगा ।

5. जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है उनके लिए निर्धारित वेतनमान निम्न प्रकार है :—

(क) भारतीय अर्थ सेवा

स्तर/पद	वेतनमान
1. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	रु० 18400—500—22400
2. (नान-फंक्शनल चयन ग्रेड निदेशक अपर आर्थिक सलाहकार)	रु० 14300—400—18300
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड उप आर्थिक सलाहकार/संयुक्त निदेशक	रु० 12000—375—16500
4. वरिष्ठ समय वेतनमान सहायक आर्थिक सलाहकार/उप निदेशक	रु० 10000—325—15200
5. कनिष्ठ समय वेतनमान सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी	रु० 8000—275—13500

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

1. उच्च प्रशासनिक ग्रेड	रु० 22400—525—24500
2. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	रु० 18400—500—22400
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रु० 14300—400—18300 के वेतनमान में नान-फंक्शनल चयन ग्रेड सहित)	रु० 12000—375—16500
4. वरिष्ठ समय वेतनमान	रु० 10000—325—15200
5. कनिष्ठ समय वेतनमान	रु० 8000—275—13500

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड-4 में पदोन्नति समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अथवा उसको किसी राज्य सरकार या गैर-सरकार संगठन में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है ।

7. इस सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तें तथा छुट्टी तथा पेंशन इत्यादि अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं ग्रुप "क" के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होंगी ।

8. भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं किन्तु ऐसे संशोधनों की शर्त के साथ ही जो समय-समय पर सरकार द्वारा किए जाएं ।

परिशिष्ट-3

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम (ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं? ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षक (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्ग निदेशन के लिए भी हैं) ।

भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पाने की संभावना हो ।

2. भारतीय (एंग्लो-इंडियन सहित) जाति के उम्मीदवार की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवार की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए यदि वजन, कद और छाती के बारे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा—वह अपने जूते उतार देगा और उस माप दण्ड (स्टैण्डर्ड) में इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के पावों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे । उसकी ठुड्डी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा ।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार—उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा ताकि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (स्कैपुलर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा और फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा । किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाये । तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा । 84—89, 86—93 आदि माप का रिकार्ड समय आधे सेंटीमीटरों से कम से कम के भिन्न (फ्रैक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए ।

नोट :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापनी चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम से कम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा ।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में, मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल अधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी ।

(ग) चश्मे के साथ चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
6/9	6/9* या		
6/9*	6/12	जे-I*	जे-II

(घ) आप्थैल्मोस्कोपिया फण्डस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उनके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए । यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य-कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए ।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र में सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(च) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन "ए" की कमी के कारण और (2) रेटीना के शरीर रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटीनिटिस पिगमैंटोसा होती है । उपर्युक्त (1) में फंडस की स्थिति सामान्य होती है । साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाती है । ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस प्राय: होती है और अधि-

कांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चलता है । इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है । सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं । उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अन्धेरा अनुकूलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा । उपयुक्त (2) के लिए विशेषतया जब फण्डस न हो तो इलैक्ट्रोरेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है, इन दोनों जांचों (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में अधिक समय लगता है । और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है । इसलिए साधारण चिकित्सा जांच से इसका पता संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी ।

(छ) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आकुलर कंडीशन) :—

(1) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रैक्टिव एरर) को जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए ।

(2) भैंगापन (स्कविंट) : तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाइनोकलर) दृष्टि अनिवार्य हो दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए ।

(3) एक आंख : यदि किसी व्यक्ति की एक आंख अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्द दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहरा बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है । बशर्ते कि सामान्य आंख :

(1) की दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे. 1 का चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरीडियन में त्रुटि 4 डायोप्ट्रस से अधिक न हो ।

(2) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो ।

(3) की सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित थे

बशर्ते कि बोर्ड का यह सामान्य हो जाए कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है ।

(ज) कान्टेक्ट लेन्स—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा समय कान्टेक्ट लेन्स के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगा । यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाइप किए गए अक्षरों का उदभासन 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो ।

7. ब्लड प्रैशर

ब्लड प्रैशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रैशर के आकलन की काम चलाई विधि नीचे दी जाती है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के यथा आयु के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100 जमा आयु होता है ।

(2) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों से ब्लड प्रैशर आकलन करने में 110 में आधी आयु जोड़ देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दें :—सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. के ऊपर के सिस्टालिक प्रैशर को और 90 एम. एम. से ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य/अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साईटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर वर्दिध थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है ? ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्स-रे और विद्युत हृदयलेखी (इलैक्ट्रो कार्डियोग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त परिरवा निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :

नियमित पारे वाले दबावमापी (मर्करी मैनेमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । कुछ हारिजेन्टल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए । भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इन्च ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रकट धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबाकर ढूंढा जाता है तब तक उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम. एम. एच. जी. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रैशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय: हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रैशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए। क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकार होता है और इसमें रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ) से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दबाव गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं। इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मैडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लकोजमेह (ग्लाकोसरिया) के सिवाए, अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लकोजमेह अमधुमेही (नान डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मैडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों, मैडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शूगर टालरैंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड की "फिट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर से आरोग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाणपत्र के लिए, उसकी फिर से स्वास्थ्य की परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं। यदि कान की कोई खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीमल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2) दोनों कानों में बहरापन या प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रव्य यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसीज में बहरापन 30 डेसीमल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य है।
(3) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने में दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (3) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य।

(4) कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी से सबसे नार्मल श्रवण ।	(1) किसी एक कान के सामान्य रूप के एक ओर से मस्टाइड केविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान में सब-नार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य । (2) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवणयंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीमल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य ।
(5) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया या बिना आपरेशन वाला	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी प्रकार के रूप से अयोग्य ।
(6) नासापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफारमिट रहित अथवा उससे नाक की प्रवाहक/एलर्जिक दशा ।	(1) प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय किया जाएगा । (2) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(7) टांसिल्स और/या स्वरयंत्र (लैरिंक्स) की जीर्ण प्रवाहक दशा ।	(1) टांसिल और/या स्वर यंत्र (लैरिंक्स) की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य । (2) यदि आवाज अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(8) कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) ।	(1) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप से अयोग्य । (2) दुर्दम्य ट्यूमर अयोग्य ।
(9) आस्टैक्लिरोसिस ।	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीमल के अन्दर होने पर योग्य ।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्म-जात दोष ।	(1) यदि काम-काज में बाधक न हो तो योग्य । (2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
(11) नेजल पोलो ।	अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वैरिकोसील, वैरिकाज-शिरा (वन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रन्थियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्युनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी मामलों में नियमित रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए ।

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं संदेह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है । उसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (एबरेशन) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल में किसी मनोविकास विज्ञानी मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है ।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मैडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु. 50/- का अपील शुल्क जमा करना होता है। यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे शेष दूसरों के बारे में यह जब्त कर लिया जाएगा। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 2 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में होगी और स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपील के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए योजना मंत्रालय (सांख्यिकी विभाग) जैसी भी स्थिति हो द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल यदि हो, के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बन्ध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने या समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में सामान्यतः तीन सदस्य होंगे (1) एक फिजिशियन (2) एक शल्य चिकित्सक और (3) एक नेत्र चिकित्सक। ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिएं। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय सांख्यिकी सेवा उम्मीदवारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामले में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामले में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वह डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतन्त्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर 'अयोग्य' करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारण तथा अधिक से अधिक 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

निश्चित अवधि के बाद अब दुबारा परीक्षा में तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए, उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें . . . . . .
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं . . . . . .

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, अहोमिया, नागालैंड जनजाति आदि में से किसी जाति से सम्बन्धित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताएं।

(ख) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्ड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है।

अथवा

दूसरी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो/हुई है ?

4. क्या आपको अधिक काम या दूसरे किसी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ?

5. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1			
2			
3			

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1			
2			
3			

6. क्या इसके पहले मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

7. यदि उपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' में हो तो बताइए कि सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

8. परीक्षा लेने वाला अधिकारी कौन था ?

9. कब और कहां मैडिकल बोर्ड हुआ ?

10. मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, उपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . . .

मेरे सामने हस्ताक्षर किए . . . .

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर . . . .

नोट : उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा। जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन आलाउंस) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

. . . . (उम्मीदवार का नाम) की शरीरिक परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास . . . . अच्छा . . . . बीच का . . . . कम . . . . कम पोषण पतला . . . . औसत . . . . मोटा . . . . .

कद जूते उतार कर . . . . वजन . . . . . .

अल्पतम वजन . . . . कब था ? . . . .

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन

तापमान . . . .

छाती का घेरा . . . .

(1) पूरा सांस खीचने पर . . . .

(2) पूरा सांस निकालने पर . . . .

2. त्वचाएं . . . . कोई जाहिर बीमारी . . . .

3. नेत्र . . . .

(1) कोई बीमारी . . . .

(2) रतोंधी . . . .

(3) कलर विजन का दोष . . . .

(4) दृष्टि नेत्र (फील्ड आफ विजन) . . . .

(5) दृष्टि तीक्षणता विजअल एक्वीटी . . . .

(6) फण्ड की जांच . . . .

दृष्टि की तीक्षणता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की क्षमता
			गोल वर्टूल एक्सिस
दूर की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
पास की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		

4. कान : निरीक्षण . . . . . सुनना . . .
. . . . दायां कान . . . . बायां
कान . . . .

5. ग्रंथियां . . . . . . थाइराइड . . . .

6. दांतों की हालत . . . .

7. श्वसन तंत्र (रेसपायरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में से किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें ।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन)
गति रेट :—

खड़े होने पर

25 बार कुदवाए जाने पर . . . .

कुदाए जाने के नट बाद दो मि. . . . .

(ख) ब्लड प्रेशर . . . . . सिस्टालिक . . . .
. . . . डायस्टालिक

9. उदर (पेट) : घेर . . . . स्पर्शसहायता
हर्निया :—

(क) दबा कर मालूम पड़ना/लिवर . . . .
तिल्ली . . . . . गर्दे . . . . . .
ट्यूमर . . . .

(ख) रक्तांश
भगंदर

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता भगन्दर का संकेत . . . .

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
असमानता . . . .

12. जलन मूत्र तन्त्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम) हाइड्रोसिल वेरिकोसिल आदि का कोई संकेत ।

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एलबूमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट ?

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है ।

नोट—महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9 ।

15. (क) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर कार्य के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है ।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ?

नोट :—बोर्ड को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए :

(क) योग्य (फिट)

(ख) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण . . . . .

(ग) अस्थायी रूप से अयोग्य जिसका कारण . . . . .

स्थान . . . .

तारीख . . . .

अध्यक्ष . . . . . .

सदस्य . . . . . .

सदस्य . . . . . .

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 1997

आदेश

सं. ओ-12012/7/96-ओ एन जी डी-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम-5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी लि.), नई दिल्ली को केरल-कोंकण के गहरे समुद्री ब्लाक के 1600 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में 31 जनवरी, 1996 (31-01-1996) से चार वर्ष के लिए पेट्रोलियम की खोज के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करती है ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का दिया जाना लाइसेंसधारी को अलग से बताए जा रहे निबंधनों व शर्तों के अधीन है ।

एम. मार्टिन
डेस्क अधिकारी

आदेश

सं. ओ-12012/71/97-ओ एन जी डी-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम-5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

(ओ एन जी सी लिमिटेड) नई दिल्ली को कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लाक आई एफ में 498 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 20 सितम्बर, 1997 (20-09-1997) से चार वर्ष के लिए पेट्रोलियम की खोज के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करती है ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का दिया जाना लाइसेंसधारी को अलग से बताए जा रहे निबंधनों व शर्तों के अधीन है ।

एम. मार्टिन
डेस्क अधिकारी

दिनांक 20 फरवरी 1998

आदेश

सं. ओ-12012/12/97-ओ एन जी डी-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम-5 के उप नियम(1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी लिमिटेड) नई दिल्ली को पश्चिमी अपतट में बी-119/बी-121 संरचना में 113.4 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 15 मई, 1997 (15-05-1007) से अथवा उत्पादन आरंभ होने की तारीख से, इनमें से जो भी पहले हो, बीस वर्ष के लिए पेट्रोलियम के खनन के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टा प्रदान करती है ।

2. पेट्रोलियम खनन पट्टे का दिया जाना पट्टाधारी को अलग से बताए जा रहे निबंधनों व शर्तों के अधीन है ।

एम. मार्टिन
डेस्क अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th February 1998

No. 23-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medical for gallantry to the undermentioned Officers of the Central Industrial Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri R. S. Dahiya,
Asstt. Sub-Inspector,
Central Industrial Security Force.

Shri T. B. Kuki,
Constable,
Central Industrial Security Force.

Shri Karamat Khan,
Constable,
Central Industrial Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

An armed escort of Central Industrial Security Force including S/Shri R. S. Dahiya, ASI, T. B. Kuki and Karamat Khan Constables were accompanying Civil Engineers of ONGC, Tripura on 25-11-97 at about 1045 hours for preparation of some drill site. On the way, the convey was ambushed by about 20 militants who opened fire all of a sudden. S/Shri T. B. Kuki and Karamat Khan who were travelling in the first jeep of the convoy were got injured and a civilian driver of the vehicle was killed on the spot as a result of the firing by the militants. The vehicle of Shri R. S. Dahiya, A. S. I. was also fired upon and the driver of the vehicle, two CISF personnel were killed on the spot and a Constable was seriously injured who later succumbed to his injuries on the way to hospital. Unmindful of the danger to his life, Shri R. S. Dahiya, ASI moved to a strategic position and gave fire cover to the remaining CISF personnel enabling them to move further. At the same time, S/Shri K. B. Kuki and Karamat Khan inspite of injuries moved further and opened fire on the militants. With the limited ammunition, they kept the militants at bay. During exchange of fire, S/Shri K. B. Kuki and Karamat Khan sustained grievous bullet injuries. But with a rare sense of determination, they engaged the militants for 30 minutes and averted further casuality for loss of arms and ammunition to the Force.

2. In this encounter S/Shri R. S. Dahiya, ASI, T. B. Kuki and Karamat Khan, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 25 November, 1997.

S. K. SHERIFF, Jt Secy to the President.

No. 24-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Raisuddin
Naik,
107 RAF Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 29-4-1997 at about 2145 hrs, a water truck of Municipal Corporation brought drinking water for residents of the Ashoka Garden Colony, Bhopal. While the residents of the area were busy in collection of water, some anti-social elements of the area identified as Mohd. Shabbir, Mohd. Sagir, Mohd. Jamil and Pappu turned up at the spot and started abusing and beating the helpless ladies who approached NK (GD) Raisuddin of 107 RAF Bn for help while he was at his residence. NK (GD) Raisuddin immediately rushed to the spot and challenged the anti-social elements who frequently indulged in hooliganism and violence against local residents. The anti-social elements who were equipped with knives, hockey, sticks and lathis did not like the intervention and tried to attack NK (GD) Raisuddin. But he tackled them without caring for his personal security and life, in retaliation for which the armed miscreants attacked him and stabbed him grievously in the stomach. But with sheer courage he stood and as a result of which the miscreants fled which saved the lives of the helpless civilians. Some civilians also sustained injuries during this attack by these anti-social elements. Shri Raisuddin was evacuated in a critical condition to Hamidia Hospital, Bhopal and operated upon to save his life.

2. In this encounter Shri Raisuddin, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 29th April, 1997.

S. K. SHERIFF, Jt Secy to the President

No. 25-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ramesh Singh, (Posthumous)
Constable,
85 Bn., CRPF.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 20-10-1996 an information was received regarding the presence of hard core militatnts in Village Pohru Chak (J&k) who were planning to execute killings & kidnapping of people. A joint operation comprising of one Pl. of CRPF alongwith local Police rushed to the village & cordoned the suspected house. When the party entere the house, the militants hiding in-side the house, opened heavy fire with automatic weapons as a result of which 2 IKP personnel lost their lives. Shri Ramesh Singh challenged the militants & opened fire on thec. While engaging in fierce battle with heavily armed milittants, Shri Singh rescued the house inmates and the injured local policemen. Noticing the gallant act of Shri Ramesh Singh, the militatnts jointly attacked and showered bullets on Shri Singh, who sustained several bullet injuries over his body & fell down on the ground. In the meantime reinforcement arrived & remaining three militants were also killed after a prolonged encounter. Shri Singh sustained several bullet injuries over his body & fell down on the ground. 2 AK 47 Rifles & one wireless set were recovered from the place of encounter.

In this encounter late Shri Ramesh Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantrfy under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 20th October, 1996.

S. K. SHERIFF, Jt Secy to the President.

No. 26-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Government of Manipur :—

Name and Rank of the Officers

Shri John S. Shilshi,
Addl. Supdt. of Police, Rural,
Imphal.

Shri Th. Krishnatombi Singh,
Asstt. Sub-Inspector,
Imphal District Police.

Shri N. Rameshore Singh,
Constable Driver,
Imphal District Police.

Shri S. Amu Singh,
Constable,
Imphal District Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 10-1-1997 an information was received that some extremists of P.L.A., armed with sophisticated weapons were present in the areas of Thoubal District. Shri John S. Shilshi, Addl. SP, Rural, Imphal organised a joint operation comprising of forces of Civil Police Commandos and personnel of Mahar Regiment. The party led by Shri John was divided into three groups to check the houses. At about 1420 hours the party led by ASI T. K. Singh arrested one extremist who on interrogation, disclosed the location of his colleagues. Shri T. K. Singh sought his help to locate the hideout. As the party reached near a hillock, the extremists fired on the police instantaneously causing injury to Constable/Driver N. Rameshore Singh and two others. Despite the injuries, Shri N. R. Singh informed his seniors about the location of the encounrge on wireless. They jumped from the vehicle and started firing towards the extremists. But in the process the arrested extremist was fatally hit by the bullets of the extremists. The extremists who were in an advantageous position resorted to indiciriminate firing. ASI T. K. Singh and party moved through a nallah towards the south-eastern side of the hillock to have a clear view of the extremists and opened fire towards the hideout. In the meantime Shri John and his party reached the spot and came close to the first party. On seeing this, some of the extremists fled towards the northern side while two extremists continued firing on the police personnel. ASI T. K. Singh and Constable/Driver N. R. Singh decided to climb the hillock. On reaching the hillock, they informedo Shri John about the presence of some of the extremists inside the nallah. Immediately Shri John and his party decided to close-in. As they moved ahead, heavy fire came from the extremists side, as a result one Rifleman sustained bullet injuries. Immediately Shri John fell on the ground and opened fire on the extremists and simultaneously ordered his men to evacuate the injured Rifleman to a safe location. Constable Amu Singh moved towards the injured Rifleman and dragged him to a safer place. Thereafter, Shri John Constable Amu Singh entered the nallah from different directions and placed other personnel in supporting position. This time it was decided that firing on the extremists should be carried out only from one position to give impression to them that the men following them were not many in number. The plan paid dividend and one of the extremists came out, lifting his weapon and pretended to surrender. However, he immediately changed position and started firing. On this Shri John and Constable Amu Singh fired instantaneously on the extremist, who sustained bullet injury and died on the spot. In the meantime ASI T. K. Singh, Constable N. Rameshore Singh alongwith other stormed into the area from top of the hill and fired at the suspected locations in the bushy area. Thereafter thorough search was conducted and the dead body of one youth who was identified as Gorangthem Gogo, a hard-core PLA Member was found with one AK-64 Rifle and magazine loaded with 14 rounds were recovered.

In this encounter S/Shri J. S. Shilshi, Addl. S. P., Th. K. Singh, ASI. N. R. Singh and S. A. Singh, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 10th January, 1997.

S. K. SHERIFF
Joint Secretary to the President

No. 27-Pres/98.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ashwani Kumar,
Constable (Now Lance Naik),
50 Bn.,
Border Security Force.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 2-2-96 at about 0830 hrs, troops ex-Post Hillar 50 BN BSF were patrolling the area of village Ekingam. On seeing the patrolling party, 4/5 militants with auto weapons started running in different directions in the village lanes and simultaneously continued firing towards patrol party. The patrol party chased the fleeing militants. The militatnts divided themselves into two groups one group of 3 militants managed to escape and one militant from other group entered into a house on the outskirts of the village and started firing. Constable Ashwini Kumar one of the members of the patrol party took position under a walnut tree about 10 yds away from that house and started firing towards the militant. In the exchange of fire, Const. Ashwani Kumar received serious bullet injuries. He kept on firing towards militant

despite being seriously injured. The militant took out a hand grenade and was about to throw on the close cordon, but Shri Kumar without caring for his life moved in open and fired on the militant killing him on the spot. Thereafter the house was searched from where dead body of the killed militant and arms/ammunition were recovered. On receiving the information of above mentioned encounter, reinforcement comprising Comdt., Adjt CDP Pl and 'G' staff rushed to the spot and were engaged in the encounter in which the patrol party was already engaged. After the firing stopped on search of area, another dead body of a militatnt and following arms/ammunition were recovered :

(i) AK-47 Rifle—2 Nos.

(ii) Mag of AK Rifle—5 Nos.

(iii) Live Ammunition of AK-47—20 Nos.

(iv) Hand Grenade (Chinese made)—1 No.

In this encounter Shri Ashwani Kumar, Lance Naik displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the ward of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 2nd February, 1996.

S. K. SHERIFF, Jt Secy to the President.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 16th March 1998

CORRIGENDUM

No. 29-Pres/98.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 31-Pres/96, dated 20th May, 1996, published in Part-I Section 1 of the Gazette of India, dated 15th June, 1996 relating to the award of President's Police Medal for gallantry to Shri Shiv Prasad Choubey, Lance Naik, 109 Bn., CRPF.

AT PAGE 1

FOR : Shri Shiv Prasad Choubey,
Lance Naik,
109 Bn.,
Central Reserve Police Force.

READ : Shri Shiv Prakash Choubey,
Nanct Naik,
109 Bn.,
Central Reserve Police Force.

S. K. SHERIFF.
Jt. Secy. to the President

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

RULES

New Delhi, the 28th March 1998

No. 11013/7/97-IES.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1998 for the purpose of filling vacancies in Grade IV of the following Services are published for general information :—

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A Candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently setting in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on 1st January, 1998 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1970 and not later than 1st January, 1977.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(iii) upto a maximum of ten years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989;

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(v) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe.

(vi) upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1998 and have been released (i) on completion of assignment (In-

cluding those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 1998 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of Physical disability attributable to Military service or (iii) on invalidment;

(vii) upto a maximum of ten years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and who have rendered at least five years Military service as on 1st January, 1998 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 1998) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of Physical disability attributable to Military service or (iii) on invalidment.

(viii) upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military service as on 1st January, 1998 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issue a certificate that they can apply for Civil employment and they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment;

(ix) upto a maximum of ten years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military service as on 1st January, 1998 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issue a certificate that they can apply for Civil employment and that they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(x) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

Note 1. The term Ex-servicemen will apply to the persons who are denned as Ex-servicemen' in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979 as amended from time to time.

Note 2. Candidates falling under rule 5(b) (ii) to 5(b) (x) who do not belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not eligible for age concession of they have already joined any Government job on civil side after availing of the age concession.

The Ex-Servicemen who have already secured regular employment under the Centrol Govt. in a civil post are, however, permitted the benefit of age relaxation as admissible to Ex-servicemen for securing another employment in any higher post or service under the Central Government.

Note 3. Candidates belonging to Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 5(b) above, viz., those coming under the category of Ex-Servicemen etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject and a candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grant Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I—Candidates who have appeared at an examination, the passing of which would render them eligible to appear at this examination but have not been informed of the result may apply for admission to the examination Candidates who intend to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancelation if they do not produce the proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed application which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the results of the written part of the examination.

NOTE II—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualification, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

NOTE III—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writting irrelevant matter including, obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for **viva-voce.**

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may be summoned for viva voce by the Commission by applying relaxed standards if the Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for viva voce on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (i) After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the eaximnation shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes, be recommened by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service(s).

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standard referred to in this sub-rule shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. A candidate may compete for any one or both the Services for which he is eligible in terms of the Rules. A candidate who qualifies for both the Services on the result of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the detailed application form the Services for which he wishes to be considered in the order of preference so that having regard to his rank in order of merit, due consideration can be given to his preference when making appointment.

N.B. (i) No request for addition/alteration in the preferences indicated by a canddate in his detailed application form will be entertained by the Commission.

N.B. (ii) The candidates competing for both the Services will be allotted to the Services strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies.

16. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service(s).

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or, the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for viva voce by the Commission may be required to undergo physical examination.

Note.—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

18. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marrage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

19. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix-II.

C. K. G. NAIR, Dy. Economic Adviser.

APPENDIX 1

SCHEME OF EXAMINATION

SECTION 1

The examination shall be conducted according to the following plan—

Part I—Written examination carrying a maximum of 900 marks in the subjects as shown below.

Part II—Viva voce of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 250 marks.

PART-I

The subjects of the written examination under Part-I the maximum marks allotted to each subject/paper and the time allowed shall be as follows :—

A. Indian Economic Service

Sl. No.	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
1.	General English	150	3 hrs.
2.	General Studies	150	3 hrs.
3.	General Economics I	200	3 hrs.
4.	General Economics II	200	3 hrs.
5.	Indian Economics	200	3 hrs.

B. Indian Statistical Service

Sl. No.	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
1.	General English	150	3 hrs.
2.	General Studies	150	3 hrs.
3.	Statistics I	200	3 hrs.
4.	Statistics II	200	3 hrs.
5.	Statistics III	200	3 hrs.

NOTE—The details of standard and syllabi for the examination are given in Section II below.

2. The question papers in all subjects will be of Conventional (essay) type.

3. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH. QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. In a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account, from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words.

9. In the question papers wherever necessary, questions involving the use of Metric System of weights and measures only will be set.

10. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

11. Candidates should use only International Form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

PART-II

Viva-Voce—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess his suitability for the Service or Services for which he has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his subjects of academic study but also in events which are happening around him both within and outside his own State or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

The technique of the interview is not that of a strict cross-examination, but of a natural, though directed and purposive conversation intended to reveal the candidate's mental qualities and his grasp of problems. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgement and alertness of mind, the ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership.

SECTION II

STANDARD & SYLLABI

The standard of papers in General English and General Studies will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write an essay in English Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL STUDIES

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian Polity including the political system and the Constitution of India, History of India and Geography of a nature which a candidate should be able to answer without special study.

GENERAL ECONOMICS-I

Theory of consumer's demand : Indifference curve analysis. Revealed preference approach.

Theory of production : Factors of production. Production function. Laws of return. Equilibrium of the firm and the industry.

Theory of value : Pricing under various forms of market organisation. Public utility pricing.

Theory of distribution : Pricing of factors of production. Theories of rent wages, interest and profit. Macro distribution theory. Adding up problem. Inequalities in income distribution.

Welfare-economics : Old and new welfare economics. The compensation principle, polity implications.

Concept of national income. Social accounting.

Theory of Employment, Output and Inflation—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post Keynesian developments.

GENERAL ECONOMICS-II

Concept of economic growth and its measurement. Theories of growth.

Characteristics and problems of developing countries. Population growth and economic development.

Planning : Concept and methods, Planning under capitalist and socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional Planning. Investment criteria and choice of techniques.

International economics : Theories of international trade. Gains from trade Terms of trade, Trade policy, international trade and economic development. Theory of tariffs.

Balance of payments, Disequilibrium in balance of payments, Mechanism of adjustments. Foreign trade multiplier. Exchange rates, Import and exchange controls.

I.M.F. and international monetary reforms. GATT; International aid for economic growth. I.B.R.D. and its affiliates.

Money : Its value and functions, Monetary policy. Functions of central and commercial banks.

Fiscal policy and its objectives : Theories of taxation and expenditure. Objectives and effects of public expenditure. Effects and incidence of taxation. Deficit financing. Theory of public debt.

Use of statistics in economics. Statistical averages and measures of dispersion. Index numbers of prices and quantities—their limitations.

INDIAN ECONOMICS

Basic features of the Indian economy : Development strategy : Role of agriculture and industry; Role of foreign Trade, Concept of balanced growth.

Planning : Objectives, priorities and problems. Five year plans. Problems of resource mobilisation.

Agriculture : New agricultural strategy; land relations and land reforms; rural credit, role of irrigation and fertiliser; agricultural marketing. Prices of agricultural produce. Crop planning. Community development. Subsidiary occupations and rural industries.

Cooperation : Its role in rural development. Growth of cooperative movement in India.

Industry : Strategy of industrial development. Problem of location. Problems of large and small scale industries. Industrial policy. Industrial estates. Sources of industrial finance. Role of foreign capital. Public enterprises; Organisation, management control and accountability, price policy.

Labour : Employment, unemployment and under-employment. Industrial relations and labour welfare. Labour policy. Wages, prices and income policy.

Foreign Trade : Salient features of India's foreign trade, Foreign trade Policy. State trading Balance of payments.

Money and Banking : Organisation of the Indian money market, Functioning of the commercial banks and the Reserve Bank of India, Monetary policy.

Public Finance : Fiscal Policy; Growth of Public expenditure. Tax policy. Main sources of revenue of Union and State Governments. Public debt policy. Deficit financing, Union-State financial relations.

STATISTICS—I

Probability (40 percent weight)

Elements of measure theory. Classical definitions and axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Probability of m events out of n. Conditional probability. Bayes' theorem. Random variables—discrete and continuous. Distribution function. Standard probability distributions—Bernouli, uniform, binominal, poisson, geometric, rectangular, exponential, normal, Cauchy, hypergeometric, multinominal, Laplace, negative binomial, beta, gamma, lognormal and compound Poisson distribution. Convergence in distribution, in probability, with probability one and in mean square. Moments and cumulants, Mathemetical expectation and conditional expectation. Characteristic function and moment and probability generating functions. Invention, uniqueness and continuity theorems. Tchebycheff's and Rolmogoroy's inequalities. Laws of large numbers and central limit theorems for independent variables.

Statistical methods (45 percent weight)

Collection, compilation and presentation of data. Charts, diagrams and histogram. Frequency distribution. Measures of location, dispersion and skewness. Bivariate and multivariate data. Association and contingency. Curve fitting and orthogonal polynomials. Bivariate distributions. Bivariate normal distribution. Regression - linear, polynomial. Distribution of the correlation coefficient. Partial and multiple correlation. Intraclass correlation. Correlation ratio.

Standard errors and large sample tests, Sampling distributions of x, S^2, t, chi-square and F; tests of significance based on them.

Non-parametric tests - sign, median, run. Wilcoxon, Mann-Whitney, Wald-Wolfowitz etc. Rank order statistics—minimum, maximum, range and median.

Numerical Analysis (15 percent weight)

Interpolation formulae (with remainder terms) due to Lagrange. Newton-Gregory, Newton (Divided difference). Gauss and Stiring. Euler-Maclaurin's summation formula. Inverse interpolation Numerical integration and differentiation. Difference equations of the first order. Linear difference equations with constant co-efficients.

STATISTICS—II

Linear Models (25 percent weight)

Theory of linear estimation. Gauss-Markoff set up. Least square estimators. Use of g-inverse. Analysis of one-way and two-way classified data—fixed, mixed and random effect models. Tests for regression co-efficients.

Estimation (25 percent weight)

Characteristics of a good estimator. Estimation methods of maximum likelihood, minimum chi-square, moments and least squares. Optimal properties of maximum likelihood estimators. Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound estimators. Cramer-Rao inequality. Bhattacharya bounds. Sufficient estimator. Factorisation theorem. Complete statistics. Rao-Blackwell theorem. Confidence interval estimation, Optimum confidence bounds.

Hypothesis testing (25 percent weight)

Sample and composite hypothesis. Two kinds of error. Critical region. Different types of critical regions and similar regions. Power function. Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma Unbiased test. Randomise. test. Likelihood ratio test. Wald's SPRT. OC and ASN functions. Elements of decision and game theory.

Multivariate Analysis (25 percent weight)

Multivariate normal distribution. Estimation of mean Vector and covariance matrix. Distribution of Hotelling's T statistic. Mahalanobis's D^2 statistic, partial and multiple correlation coefficients in samples from a multivariate normal population. Wishart's distribution, its reproductive and other properties. Wilk's criterion, Discriminant function. Principal components. Canonial variates and correlations.

STATISTICS—III

PART (A) (Compulsory for all)

Sampling Techniques (35 percent weight)

Census versus sample survey. Pilot and large scale sample surveys. Sample random sampling with and without replacement. Startified sampling and sample allocations. Cost and variance functions. Ratio and regression methods of estimation. Sampling with probability proportional to size. Cluster double, multiphase, multistage, and systematic sampling. Interpenetrating sub-sampling. Non-sampling errors.

Economic Statistics (25 percent weight)

Components of time series. Methods of their determination—variate difference method. Yule-Slutsky effect. Correlogram. Autoregressive models of first and second order. Periodogram analysis. Index numbers of prices and quantities and their relative merits. Construction of index members of wholesale and consumer prices. Income distribution—Pareto and Engel curves. Concentration curve. Methods of estimating national income. Inter-sectoral flows. Inter-industry table.

PART (B)

CANDIDATES WILL BE ALLOWED OPTION OF ANSWERING QUESTIONS ON ANY ONE OF THE FOLLOWING TOPICS

(i) Statistical Quality Control and Operations Research (40 percent weight)

Different kinds of control charts of variable and attributes. Acceptance sampling by attributes—Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Concept of AOQL and ATI. Acceptance sampling by variable—use of Dodge—Romig and other tables.

Operations research approach. Elements of linear programming. Simplex procedure. Transport and assignment problems. Principle of quality. Single and multi-period inventory control models. ABC analysis. Characteristics of a waiting line model. M/M/1, M/M/C models. General simulation problems. Replacement models for items that fail and of items that deteriorate.

(ii) Demography and Vital Statistics (40 percent weight)

The life table, its construction and properties. Makehams and Gompertz curves. National life tables. UN model life tables. Abridged life tables. Stable and stationary populations. Different birth rates. Total fertility rate. Gross and net reproduction rates. Different mortality rates. Standardised death rate. Internal and international migration : net migration. International and postcensal estimates. Projection method including logistic curve fitting. Decennial population census in India.

(iii) Design and Analysis of Experiments (40 percent weight)

Principals of design of experiments. Layout and alalysis of completely randomised, block and latin square designs. Factorial experiments and confounding in 2^n and 3^n experiments. Split-plot and strip-plot designs. Construction and analysis of balanced and partially balanced incomplete block designs. Analysis of covariance. Analysis of non-othogonal data. Analysis of missing and mixed plot data.

(iv) Econometrics (40 percent weight)

Theory and analysis of consumer demand—specification and estimation of demand functions. Demand elasticities. Structure and model. Estimation of parameters in single equation model—classical least squares, generalised least-square, heteroscedasticity, serial correlation, multicollinearity errors in variable model. Simultaneous equation models—Identification, rank and other conditions. Indirect least squares and two stage least squares. Short-term economic forecasting.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination.

1. Candidates selected for appointment to either of the two services will be appointed to Grade IV of the Services on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for the Services to which the recruitment is being made are as follows :

A) Indian Economic Service

	Level/Post	Pay Scale
1.	Senior Administrative Grade	Rs. 18400-500-22400
2.	(Non-Functional Selection Grade Director/Addl, Economic Adviser)	Rs. 14300-400-18300
3.	Junior Administrative Grade Dy. Economic Adviser/Jt. Director	Rs. 12000-375-16500
4.	Senior Time Scale Asstt. Economic Adviser/Dy. Director	Rs. 10000-325-15200
5.	Junior Time Scale Asstt, Director/Research Officer	Rs. 8000-275-13500

B) Indian Statistical Service

1.	Higher Administrative Grade	Rs. 22400-525-24500
2.	Senior Administrative Grade	Rs. 18400-500-22400
3.	Junior Administrative Grade (Inclusive of a Non-Functional Selection Grade in the scale of Rs. 14300-400-18300).	Rs. 12000-375-16500
5.	Senior Time Scale	Rs. 100000-325-15200
6.	Junior Time Scale	Rs. 8000-275-13500

6. Promotion to the next Grade of the Service will be made in accordance with the provisions of Indian Economic Service Indian Statistical Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Economic Service Indian Statistical Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post including any State Government or non-governmental organisation on deputation for a specified period.

7. Condition of service, leave and pension etc. for officers of the Service will be governed by the rule applicable to members of other Central Civil Service Group 'A'.

8. Conditions of provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Service

Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners].

The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels calve buttocks and shoulders touching the standard. The chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades, behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the ape. The candidate will then be directed to take deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed, and his weight recorded in kilograms; fraction of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9	6/9		
6/9	or		
	6/12	J-I	J-II

(d) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the even of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) Field of Vision.—The field of vision will be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) Night Blindness.—Broadly there are two types of night blindness, (1) as a result of Vitamin A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Retinits Pigmentosa in (1) the fundus is normal generally seen in younger age-group and ill-nourished persons and improves by large doses of Vitamin A and (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time consuming and require specialized set-up and equipment and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical consideration it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) Ocular condition, other than visual acuity.—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as disqualification.

(ii) Squint.—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) One eye.—If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is amblyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommended as fit such person provided the normal eye has :—

(i) 6/6 distant vision and J1 near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) Contact Lenses.—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye tests the illumina-

tion of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. Blood Pressure

The board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of the age the average is about 100 plus the age.
(ii) With subject over 25 years of age the general rule of 110-plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm, and diastolic over 90 mm, should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of clothes bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The branchial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. The 'Silent Gap' may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If expect for the glycosuria the Board finds the candidate confirm to the standard of medical fitness required they may pass the candidate fit subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examination, clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed.

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical Jobs if the deafness is upto 30 decible in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical job if the deafness is up to 30 decible in speech frequency of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic memberane of central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present Temporarily unit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit. (iii) Central perforation in both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal herein other ear Mastoid cavity Fit for both technical and non-technical Jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides—Unfit for technical jobs. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibles in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently/discharging ear operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) if deviated nasal septum is present with symptoms Temporarily unfit.

(7)	Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammator conditions of tonsils and/or larynx—Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(8)	Benign or locally malignant tumours of the ENT.	(i) Being tumours -- Temporarily Unfit. (ii) Malignant tumours—Unfit.
(9)	Otosclerosis	If the hearing is within 30 Decibles after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10)	Congenital defects of ear nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit, (ii) Stattering of severe degree—Unfit.
(11)	Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well-fomed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin-disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate, the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidate filling an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50/- in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeal should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates, otherwise, request for second medical examination by an Apellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admisible fo the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Board would be taken by the Ministry of Planning (Department of Statistics) as the case may be on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and the rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members (i) a Physician (ii) a Surgeon and (iii) an Opthalmologist all of whom should as far as practicable be of equal status. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidate appointed to the Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects, pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In case of candidates who are to be declared "Temporarily unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum

On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporary until for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidates statement and declaration.

The candidate must make the statement required below perior to his Medical Examination and must sign the Decla-

ration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) ....

2. State your age and birth place..............

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwali, Assameese, Nagaland Tribes etc. whose average height is distinctly lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'yes' state the name of the race, ...

(b) Have you ever had small pox, intermittent or any other fever enlargement or suppuration of lands, spitting of blood, asthama, heart desease, lung diseases faintings attacks, rheumatism appendicitis, ...

or

Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?

4. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any other cause? ....

5. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at death and cause of death
1			
2			
3			

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sister dead, their ages of death and cause of death
1			
2			
3			

6. Have you been examined by a Medical Board before? ....

7. If answer to above is 'yes' please state what Service/Services, you were examined for ....

8. Who was the examining authority...... ....

9. When and where was the Medical Board held? ....

10. Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if, known.

I declare that all the above answers are to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature ....

Signed in my presence ....

Signature of the Chairman of the Board.

Note—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical Examination ....

1. General development............Good........fair... Poor.................

Nutrition : Thin..............Avergge........Obese..
Height (without shoes) ....weight ....
Best Weight................When?.......... any recent change in weight?..............Temperature ....
Girth of Chest :

(1) After full inspiration ....
(2) After full expiration..........................

2. Skin : Any obvious disease ....

3. Eyes :

(1) Any disease ....
(2) Night blindness................................
(3) Defect in colour vision........................
(4) Field of vision ....
(5) Visual acuity ....
(6) Fundus examination............................

Acuity of vision	Naked eye with glasses	Strength of glasses		
		Sph.	Cly.	Axis
Distant Vision	R.E.			
	L.E.			
Near Vision	R.E.			
	L.E.			

4. Ears : Inspection ...... Hearing : Right Ear ...... Left Ear ....

5. Glands .... Thyroid ....

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully ....

8. Circulatory System

(a) Heart : Any organic lesions ? .....Rate Standing .....
After hopping 25 times .....
2 minutes after hopping .....

(b) Blood Pressure : Systolic ..... Diastolic .....

9. Abdomen : Girth ..... Tenderness ..... Hernia .....

(a) Palpable : Liver ..... Spleen ..... Kidneys ..... Tumours .....

(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervous System . Indication of nervous of mental disabilities .....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest .....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?.....

Note : In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide regulation 9.

15. (i) Has he been found qualified in all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service, Indian Statistical Service ?

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit .....

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporary unfit on account of .....

Chairman

Place .....

Date .....

Member

Member

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd December 1997

ORDER

No. O-12012/7/96-ONG.D.IV.—In exercise of powers conferred by clause (I) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Corporation Limited, (O.N.G.C. Ltd.), New Delhi a Petroleum Exploration Licence to prospect Petroleum for four years with effect from January 31, 1996 (31-01-1996) in Kerala—Konkan Deep Water (KKDW) Block area measuring 1600 sq. kms.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the licencee separately.

M. MARTIN, Desk Officer

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd December 1997

ORDER

No. O-12012/71/97-ONG.D.IV.—In exercise of powers conferred by clause (I) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Corporation Limited, (O.N.G.C. Ltd.), New Delhi a Petroleum Exporation Licence to prospect Petroleum for four years with effect from September 20, 1997 (20-09-1997) in Krishna Godavari Basin Block IF area measuring 498 sk. kms.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the licencee separately.

M MARTIN, Desk Officer

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 20th February 1998

ORDER

No. O-12012/12/97-ONG.D.IV.—In exercise of powers conferred by clause (I) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Corporation Limited, (O.N.G.C. Ltd), New Delhi a Petroleum Mining Lease to mine Petroleum for twenty years with effect from May 15, 1997 (15-05-1997) or from the date of start of production, whichever is earlier, in B-419/B-121 structure area measuring 113.4 sq. kms., in Western Offshore.

2. The grant of petroleum Mining Lease is subject to the terms and conditions being intimated to the leasee separately. separately.

M. MARTIN, Desk Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1998